

फारम

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशेषा पीता, 100 बिना 2. वर्तमान धारित पद **कनिश्चाला निवेशक (विद्युत)****
3. वर्तमान वेतन **10170 + 2800. अगली वृद्धि को तारीख **1-7-2012****

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो चतुष्टय कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** ड्यूटी, पेट्टा, बंधक, विरासा, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन को तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) जिला - झारखण्ड पट्टा - झारखण्ड ग्राम - नागपुर		कमिश्नरी 3.25 हैक्टर	15 लाख	बच्चे का बालक पर	—	15000/- वार्षिक	पूरा कर्मचारी
2) जिला - झारखण्ड ग्राम - गजपति		कमिश्नरी 2.75 हैक्टर	12 लाख	बच्चे की पत्नी पर	—	5000/- वार्षिक	पूरा कर्मचारी

जहां लागू न हो काट दी जाए।
 * हेरे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 * इति न अन्यथा तब ही सन्मिलित है।
 टिप्पणी: पंचायत शासकीय संलक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक तरह न होने को अवधि के परमाणु पर घोषणा-पत्र पर काट प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्थापित को तथा उसके पूरा अर्जित अधिका उसे विधानों में मिलती या उसके अर्जन नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर प्रस्तुत करने पर उसे काटने का अधिकार है।

हस्ताक्षर: **अशेषा पीता**
 नाम: **अशेषा पीता**
 पद: **कनिश्चाला निवेशक (विद्युत)**

दिनांक: - 17/8/11